



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश:) 456010

E-mail-recruitment.mpsvv@gmail.com, Website-www.mpsvv.ac.in

:: सूचना ::

अतिथि विद्वान् हेतु साक्षात्कार

दिनांक – 04 अगस्त, 2023

समय – दोपहर 12:00 बजे

स्थान – प्रशासनिक भवन, पतंजलि कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर

देवास मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)

(नोट – साक्षात्कार समय से एक घंटे पूर्व उपस्थित होकर दस्तावेज
का सत्यापन करवें)

3 D:



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश:) 456010

E-mail-recruitment.mpsvv@gmail.com, Website-www.mpsvv.ac.in

क्र/मपासंवि/अका./विद्या/23/3541

उज्जैन, दिनांक 14/07/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र/मपासंवि/अका./विद्या/23/3283 उज्जैन, दिनांक 08/06/2023 के तारतम्य में अध्यापन विभागों में दिनांक 22 एवं 23 जून 2023 को आयोजित साक्षात्कार में चयन उपरांत शेष अध्यापन विभागों में सत्र 2023-2024 के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अथवा नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिए निम्नलिखित विषयों के अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों का पैनल तैयार करने के लिये यू.जी.सी. अर्हताधारी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	संकाय	विभाग का नाम	विषय	आवश्यक अतिथि विद्वान्
1	वेद वेदांग एवं साहित्य	ज्योतिष विभाग	सिद्धांत ज्योतिष	02
		ज्योतिषविज्ञान विभाग	ज्योतिषविज्ञान / फलित ज्योतिष	01
2	शिक्षा शास्त्र संकाय	शिक्षा शास्त्र विभाग	*शास्त्री + शिक्षाशास्त्री	01
3	कला संकाय	आधुनिक विभाग	संगणक	01
4	दर्शन संकाय	दर्शन विभाग	न्याय दर्शन	01

* शिक्षाशास्त्र विभाग में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

इच्छुक अभ्यर्थी को संलग्न प्रोफार्मा (अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ स्वयं का बायोडाटा तथा अपेक्षित सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनायें तथा दिनांक 31.07.2023 तक ईमेल – recruitment.mpsvv@gmail.com पर ईमेल करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कॉपी (स्वसत्यापित) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

आवेदन शुल्क :-

इच्छुक अभ्यर्थी को 1000 रूपये आवेदन शुल्क देना होगा। जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpsvv.ac.in पर जाकर भुगतान विकल्प का चयन कर शुल्क जमा करना होगा तथा उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी। आवेदन शुल्क दिनांक 31.07.2023 तक डिजिटल जमा करना अनिवार्य होगा।

नोट – नियत तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध विषय में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्डजिसमें सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो या समकक्ष ग्रेड जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो। उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो

3

कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसाकि स्लेट/सेट आदि।

(टीप - मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी नहीं)

(2) उपरोक्त उपधारा (i) के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किया गया है इस सबके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन 2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है) ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी, जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपाधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्यादेश/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी है।

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए हो।

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/समकुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(टीप - मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ-1 118/2012/38-1, दिनांक 5 दिसम्बर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि-11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात् नियमन लागू होने के दिनांक तक पीएच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र मान्य होगा।)

(3) यू.जी.सी. का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 04 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक दिव्यांगता वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से दिव्यांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर किसी भी "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणी के लिए व्यक्ति की गई है - वे अनुमत होंगी - जो कि अर्हकारी अंको पर आधारित रहेगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

(4) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी-55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

नोट - (1) शिक्षा प्राप्त विषय के लिए यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त संस्कृत में एम.ए./आचार्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगी।

(2) सभी पात्र अभ्यर्थियों को विषय विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमन्त्रित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं की पात्रता का सम्यक परीक्षण कर लें।

पैनल बनाने की प्रक्रिया -

1. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के उपरांत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची जारी की जायेगी। तदनुसार पात्र अभ्यर्थियों को विषय विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। तदनुसार पैनल बनाया जाएगा।



नियम/शर्तें –

1. अतिथि विद्वान् को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि आमन्त्रित अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए आमन्त्रित अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अभ्यर्थी को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि विद्वान एक साथ दो संस्थाओं में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में व्याख्यान हेतु आमन्त्रित अतिथि विद्वान को कार्य दिवस में कार्यालयीन समय/निर्देशानुसार उपस्थित रहकर चार से पांच कालखंडों में व्याख्यान प्रस्तुत करने होंगे तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार शिक्षणोत्तर कार्य करने होंगे।
3. अतिथि विद्वान को 31.05.2024 अथवा सत्रावसान जो भी पहले हो, तक के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को आमंत्रित करने अथवा उसके आमंत्रण को बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। 15 दिवसों तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में अतिथि विद्वान का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा।
4. उपर्युक्तानुसार आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है।
5. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का मार्गव्यय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र एवं मूल शैक्षणिक दस्तावेज लेकर विषय विशेषज्ञों से चर्चा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा।

मानदेय –

1. आमन्त्रित अतिथि विद्वान (पूर्णकालिक) को कार्य संतोषजनक होने पर प्रति कार्यदिवस रूपये 1500/- देय होगा, कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित दिवस का मानदेय प्रदेय नहीं होगा।
2. अंशकालीन अतिथि विद्वान को रूपये 500/- प्रति कालांश की दर से भुगतान किया जाएगा।

टीप :-

1. विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उक्त विज्ञापन निरस्त करने, स्थानों की संख्या घटाने, बड़ाने, स्थान भरने, न भरने का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
3. छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद हेतु अधिकतम 10 आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।


कुलसचिव

क्रं./मपासंवि/विद्या/अकादमिक/23/

उज्जैन, दिनांक: 14/07/2023

प्रतिलिपि-

1. मान. कुलपति जी एवं कुलसचिव जी के निज सहायक, म.पा.सं.वै.वि.वि., उज्जैन (म.प्र.)।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अकादमिक/विद्या, प्रभारी विद्या/अकादमिक, म.पा.सं.वै.वि.वि., उज्जैन (म.प्र.)।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन/परीक्षा, म.पा.सं.वै.वि.वि., उज्जैन (म.प्र.)।
4. आई.टी. सेल प्रभारी, म.पा.सं.वै.वि.वि., उज्जैन (म.प्र.) विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा विज्ञापन हेतु।
4. गार्ड फाइल हेतु।




कुलसचिव



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश:) 456010

E-mail- recruitment.mpsvv@gmail.com, Website-www.mpsvv.ac.in

अतिथि विद्वान् हेतु आवेदन पत्र

आवेदित विषय :
नाम :
पिता/पति का नाम :
पता :
मोबाईल नं. :

पासपोर्ट साईज का
अद्यतन फोटो चस्पा
करें।

शैक्षणिक योग्यता विवरण – (आवश्यकतानुसार परिवर्धित कर सकते है)

क्रं.	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/वि.वि. का नाम
1	10वीं / पूर्वमध्यमा				
2	12वीं / उत्तरमध्यमा				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	एम.एड.				
6	अन्य				

7. पीएच.डी. / विद्यावारिधि : पंजीयन दिनांक अवार्ड की तिथि
- शोध शीर्षक.
8. नेट / जे.आर.एफ / स्लेट -
9. आधार कार्ड क्रं.
10. (विशिष्ट उपाधि / प्रमाण-पत्र / पुरस्कार)
11. आवेदन शुल्क ट्रांजेक्शन आई.डी. दिनांक

:: घोषणा-पत्र ::

उपर्युक्त समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। मैंने आवेदन शुल्क (1000/- रुपये) दिनांक को वि.वि. की वेबसाइट www.mpsvv.ac.in पर प्रदत्त भुगतान लिंक द्वारा जमा कर दिये है। मैंने आवेदन से सम्बन्धित सभी नियम/निर्देशों को पढ़ लिया है।

उच्च शिक्षा में अध्यापन अनुभव -

क्रं.	वर्ष	अध्यापन अनुभव का प्रकार/अतिथि विद्वान्/संविदा/अन्य	संस्था

कृपया केवल उपर्युक्त से सम्बन्धित स्वसत्यापित प्रपत्र ही संलग्न करें, अनपेक्षित नहीं।

आवेदक के हस्ताक्षर

3-D: